

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

।। संकल्प ।।

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री मिथिलेश कुमार, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, खगड़िया सम्प्रति प्रबंध निदेशक, दी नेशनल सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि०, बेतिया के विरुद्ध प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, खगड़िया के पदस्थापन काल में बैंक कार्मिक सेवा नियमावली की कंडिका-68(4) का उल्लंघन करने, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की धारा-11(1) का अनुपालन नहीं करने, सूद भारित नहीं किये जाने, अतिरिक्त वेतन भुगतान किये जाने एवं गलत तरीके से उपादान एवं सेवान्त लाभ का भुगतान किये जाने जैसे वित्तीय अनियमितता के आरोपों में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से विभागीय पत्रांक-2884 दिनांक-29.05.2026 द्वारा आरोप पत्र गठित कर बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री कुमार द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक-622 दिनांक-23.07.2026 के माध्यम से बचाव का लिखित अभिकथन समर्पित किया गया।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनके द्वारा समर्पित बचाव का लिखित अभिकथन की सम्यक समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री कुमार से प्राप्त बचाव का लिखित अभिकथन को अस्वीकार पाते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री मिथिलेश कुमार, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, खगड़िया सम्प्रति प्रबंध निदेशक, दी नेशनल सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि०, बेतिया के विरुद्ध गठित आरोप पत्र में विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

2. उक्त अनुशासनिक कार्यवाही में श्री विकास कुमार बरियार, अपर निबंधक(न्यायिक), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री मनोज कुमार, उप सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि संकल्प एवं आरोप-पत्र की एक-एक प्रति (साक्ष्य सहित) श्री विकास कुमार बरियार, अपर निबंधक(न्यायिक), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना-सह-संचालन पदाधिकारी/श्री मनोज कुमार, उप सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं श्री मिथिलेश कुमार, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, खगड़िया सम्प्रति प्रबंध निदेशक, दी नेशनल सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि०, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(कुमारी आरती)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :/ पटना, दिनांक :

8/नि.को.(रा.)विभागीय-764/2026

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ श्री विकास कुमार बरियार, अपर निबंधक(न्यायिक), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना -सह-संचालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

ह०/-

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक : / पटना, दिनांक :

8/नि.को.(रा.)विभागीय-764/2026

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के श्री मनोज कुमार, उप सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना
-सह- प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक-यथोक्त।

ह./-

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक : / पटना, दिनांक :

8/नि.को.(रा.)विभागीय-764/2026

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ श्री मिथिलेश कुमार, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय
सहकारी बैंक लि०, खगड़िया सम्प्रति प्रबंध निदेशक, दी नेशनल सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव
बैंक लि०, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक-यथोक्त।

ह./-

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक : / पटना, दिनांक :

8/नि.को.(रा.)विभागीय-764/2026

प्रतिलिपि :- निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/उप सचिव (प्रशाखा-1), सहकारिता विभाग,
बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक : 5245 / पटना, दिनांक : 11/09/26

8/नि.को.(रा.)विभागीय-764/2026

प्रतिलिपि :- लोक सूचना पदाधिकारी, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/अई. टी. मैनेजर,
सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे
अनुरोध है कि इस संकल्प को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा की
जाय।

Pce
10/09/26
विशेष कार्य पदाधिकारी।

9